R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

मासिक शुल्क : 1 रुपया मात्र

खण्ड IV ◆ अंक 10
अप्रैल 2008

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना

भारत सरकार ने मार्च 2009 तक स्वच्छकारों और उनके आश्रितों को लक्ष्य में रखते हुए हाल में स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) नामक एक नई योजना अनुमोदित की है। इस अनुमोदित योजना में पूँजीगत आर्थिक सहायता, रियायती ऋण तथा वैकल्पिक पेशे में स्वच्छकारों के पुनर्वास हेतु क्षमता निर्माण के प्रावधान शामिल हैं। तथापि, भारत सरकार की इच्छा है कि इस योजना को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में लागू किया जाए। इस योजना का सफल कार्यान्वयन सभी नियंत्रण स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा इस योजना में प्रभावी सहभागिता और निगरानी पर आधारित होगा। इस योजना के विवरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुपालन किए जानेवाले व्यापक दिशानिर्देश इस प्रकार हैं :

पात्रता

स्वच्छकारों और उनके आश्रित जिन्हें अभी तक भारत सरकार/राज्य सरकारों की किसी योजना के अंतर्गत पुनर्वास के लिए सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, अपनी आय से निर्पेक्षत: इस सहायता के लिए पात्र होंगे।

स्वच्छकारों की परिभाषा

किसी स्वच्छकार का मतलब उस व्यक्ति से है जो अंशत: अथवा पूर्णत: मल और गंदगी को हाथ से हटाने के अप्रीतिकर और अमानवीय पेशे में शामिल है। किसी स्वच्छकार का आश्रित वह व्यक्ति है जो उसकेपरिवार का सदस्य है अथवा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वह अंशत: या पूर्णत: उक्त पेशे में शामिल है, उस पर आश्रित है। प्रत्येक स्वच्छकार और उसके बच्चे जो 18 वर्ष तथा उसके अधिक आयु के हैं, जो रोजगार (स्वच्छकार के अलावा) प्राप्त नहीं हैं, की पहचान की जाएगी और उन्हें पुनर्वास प्रदान किया जाएगा।

मुख्य विशेषताएं

स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू है। अभिज्ञात स्वच्छकारों को प्रशिक्षण, ऋण और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बैंक केवल राज्य माध्यम एजेंसियों (एससीए) द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों को ऋण उपलब्ध कराएंगे। ऋण संस्वीकृत किए जाने के बाद बैंक राज्य माध्यम एजेंसियों(एससीए) से पूँजीगत आर्थिक सहायता की राशि का दावा करेंगे जो बदले में स्वीकार्य पूँजीगत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएँगी जिसे हिताधिकारियों के बीच ऋण की राशि के साथ संवितरित किया जाएगा। हिताधिकारियों को ऋण के संवितरण के बाद बैंक की संबंधित शाखा तिमाही आधार पर राज्य माध्यम एजेंसियों (एससीए) से ब्याज सहायता का दावा करेगी।

बैंक,हिताधिकारियों को उपलब्ध कराए गए ऋण पर इस योजना के अंतर्गत निर्धारित दरों पर ब्याज में परिवर्तन करेंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम(एनएससेकेएफडीसी) अथवा शीर्ष स्तर पर अभिज्ञात कोई अन्य एजेंसी अपनी राज्य माध्यम एजेंसियों (एससीए) अथवा राज्य स्तर पर अभिज्ञात किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से बैंकों द्वारा प्रभार -योग्य ब्याज तथा इस योजना के अंतर्गत हिताधिकारियों को प्रभारित किए जाने वाले ब्याज के बीच अंतर के लिए बैंकों को ब्याज सहायता उपलब्ध कराएगी।

निधि उपलब्धता

यह योजना 5.00 लाख रुपए तक की लागतवाली परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराती है। ऋण की राशि, स्वीकार्य पूँजीगत आर्थिक सहायता घटाए जाने के बाद परियोजना लागत का शेष भाग होगी। इस योजना के अंतर्गत कोई मार्जिन राशि/प्रवर्तक के अभिदान को उपलबध कराया जाना अपेक्षित नहीं है।

मीयादी ऋण (अधिकतम 5 लाख रुपए तक) तथा व्यष्टि वित्त (अधिकतम 25,000 रुपए तक) दोनों इस योजना के अंतर्गत स्वीकार्य होंगे। व्यष्टि वित्त सहायता स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और विख्यात गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जाएगी।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना	1
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि	2
विभेदक ब्याज दर - पात्रता मानदण्ड में संशोधन	2
विदेशी मुद्रा	
गैर-प्रतिष्ठाधारक निर्यातक-आयात बिलों की सीधे प्राप्ति	3
म्युच्युअल फंडों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों के लिए सकल सीमा बढ़ाई गई	3
शहरी सहकारी बैंक	
आस्ति वर्गीकरण मानदण्ड	3
चेक संग्रह नीति तैयार करना	3
ग्राहक सेवा	
कर का इलैक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य	3
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग	4

हिताधिकारियों को प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर निम्न प्रकार होगी-

परियोजना की राशि	**ब्याज की दर** (प्रति वर्ष)
25,000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए	5 प्रतिशत प्रति वर्ष 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष (महिला हिताधिकारियों के लिए)
25,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए	6 प्रतिशत प्रति वर्ष

जहाँ ऋणों पर बैंकों द्वारा प्रभार-योग्य ब्याज की दर इस योजना के अंतर्गत निर्धारित दर से अधिक है,बैंकों को अंतर की सीमा तक ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।

चुकौती

25,000 रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ऋण की चुकौती की अवधि तीन वर्ष तथा 25,000 रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए 5 वर्ष होगी। ऋण की चुकौती प्रारंभ करने के लिए मुहलत की अवधि 6 महीने होगी। राज्य माध्यम एजेंसियाँ(एससीए) हिताधिकारियों को तीन महीने की एक अवधि के भीतर निधियों का संवितरण करेंगी।

आर्थिक सहायता

हिताधिकारियों को ऋण संयोजित पूँजीगत आर्थिक सहायता एक क्रमिक तरीके से पहले ही निम्न प्रकार उपलब्ध करायी जाएगी:

परियोजना लागत	**पूँजीगत आर्थिक सहायता**
25,000 रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए	परियोजना लागत का 50 प्रतिशत
25,000 रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए	न्यूनतम 12,500 रुपए और अधिकतम 20,000 रुपए के साथ परियोजना लागत का 25 प्रतिशत

हिताधिकारियों को, यदि अपेक्षित हो, पूँजीगत आर्थिक सहायता और ब्याज सहायता तथा इस योजना के अंतर्गत अन्य अनुदानों के बिना बैंकों से द्वितीय और परवर्ती ऋण प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी।

बैंक की भूमिका

इस योजना का सफल कार्यान्वयन सभी स्तरों पर बैंकों द्वारा प्रभावी सहभागिता और निगरानी पर आधारित है। अत: बैंक इस पहलू पर खास ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि शाखाओं की पर्याप्त संख्या इस योजना के कार्यान्वयन में राज्य स्थानीय अनुसूचित जाति विकास संघ और वित्त निगमों के निकट संपर्क के साथ प्रभावी रूप से सहभागिता करें। बैंक, शाखाओं के परिचालन क्षेत्र के भीतर पात्र हिताधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार जिला ऋण योजना (डीसीपी) के लिए शामिल की जानेवाली सभी बैंक शाखाओं के बीच वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत जिलों के लिए इस योजना के अंतर्गत कुल लक्ष्यों को समानुपातिक रूप से वितरण के द्वारा हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता हेतु लक्ष्यों का आबंटन करें। बैंक अपनी शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त बैंकों को चाहिए कि :

* वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं आवेदक हिताधिकारियों को सभी प्रकार का सहयोग देती हैं तथा इस योजना में उल्लेख नहीं किए गए दस्तावेज़ों,गारंटियों आदि की माँग नहीं करती हैं।
* वे हिताधिकारियों से मीयादी जमा में राशि जमा करने हेतु आग्रह नहीं करें।
* वे हिताधिकारियों और बैंकों के बीच कार्य करनेवाले मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अंगीकृत करें तथा आवेदनपत्रों के समय पर निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई करें।
* 25,000 रुपए तक की ऋण-सीमा के सभी ऋण आवेदनपत्रों का एक पखवाड़े के भीतर तथा 25,000 रुपए से अधिक के ऋण आवेदनपत्रों का 8 से 9 सप्ताहों के भीतर निपटान करें।
* आवेदनपत्रों की प्राप्ति और निपटान का एक समुचित अभिलेख रखा जाए।
* आवेदनपत्र तथ्यहीन आधारों पर अस्वीकृत नहीं किए जाएँ। किसी आवेदनपत्र को अस्वीकृत किए जाने के मामले में आवेदनपत्र अस्वीकार किए जाने के कारणों को अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।
* इस योजना के अंतर्गत बैंकों के कार्यनिष्पादन की राज्य-स्तरीय बैंकर समिति आदि की बैठकों में अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत विभिन्न मंचों पर सावधिक रूप से समीक्षा की जाए।
* बैंक के स्टाफ को प्रशिक्षित करने और प्रवृत्ति के पुनर्विन्यास हेतु प्रयास किए जाएँ।

परियोजनाओं के प्रकार

हिताधिकारी किसी भी अर्थक्षम आय उत्पादक स्व-रोजगार परियोजना का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।

प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि

मौजूदा समष्टि आर्थिक, मौद्रिक और संभावित चलनिधि परिस्थितियों को देखते हुए और मुद्रा स्फीति अपेक्षाओं को रोकने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों और अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा रखी जानेवाली कुल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को दो स्तरों से 50 आधार बिन्दुओं से बढ़ाते हुए 8.0 प्रतिशत किया गया। बढ़ाए गए प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को नीचे दर्शाए गए पखवाड़े से लागू किया जाएगा:

प्रभावी तारीख (अर्थात् पखवाड़े की शुरूआत)	**कुल माँग और मीयादी देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात** (प्रतिशत)
26 अप्रैल 2008	7.75
10 मई 2008	8.00

इसक फलस्वरूप बैंकिंग प्रणाली की देयताओं पर प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में हुई वृद्धि से बैंकों के संसाधनों से लगभग 18,500 करोड़ रुपए की राशि अवशोषित की जाएगी।

विभेदक ब्याज दर - पात्रता मानदण्ड में संशोधन

रिज़र्व बैंक ने सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को सूचित किया है कि विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआइ) के अंतर्गत ऋण लेनेवाले उधारकर्ताओं की पात्रता मानदण्ड को अब बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, अब ग्रामीण क्षेत्रों में 18,000 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 24,000 रुपए की वार्षिक पारिवारिक आयवाले उधारकर्ता इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे। इससे पहले विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए वार्षिक आय मानदण्ड ग्रामीण क्षेत्र में 6,400 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपए थी।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत उधार का लक्ष्य पहले की तरह पिछले वर्ष की कुल अग्रिम का 1 प्रतिशत बना रहेगा। विभेदक ब्याज दर योजना की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

विदेशी मुद्रा

गैर-प्रतिष्ठाधारक निर्यातक-आयात बिलों की सीधे प्राप्ति

गैर-प्रतिष्ठाधारक निर्यातकों द्वारा कच्चे क़ीमती पत्थरों और अर्ध-क़ीमती पत्थरों के आयात के मामले में, आयात बिल/दस्तावेजों की सीधे प्राप्ति की सीमा को 100,000 अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 300,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अब 300,000 अमरीकी डॉलर तक के आयात के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं, जहां कच्चे क़ीमती पत्थरों और अर्ध-क़ीमती पत्थरों के आयातक ने विदेशी आपूर्तिकर्ता से सीधे आयात बिल/दस्तावेज प्राप्त किया है तथा आयातक द्वारा आयात के दस्तावेज़ी सबूत विप्रेषण के समय प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे लेनदेन कर सकते हैं,जहाँ:

(i) आयात प्रचलित विदेशी व्यापार नीति के अधीन है।

(ii) लेनदेन उनके वाणिज्यिक निर्णय पर आधारित है और वे लेनदेन की वास्तविकता के संबंध में संतुष्ट हैं।

(iii) अपने ग्राहकों को जानिए (केवाईसी) और पर्याप्त सावधानी का पालन किया गया है तथा आयातक, ग्राहक की वित्तीय स्थिति/ हैसियत और पिछले कार्यनिष्पादन से पूरी तरह संतुष्ट है। यह सुविधा प्रदान करने से पहले बैंकों को विदेशी बैंकर अथवा विदेशी ख्याति प्राप्त साख एजेंसी से प्रत्येक विदेशी आपूर्तिकर्ता के संबंध में रिपोर्ट भी प्राप्त करनी चाहिए।

म्युच्युअल फंडों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों के लिए सकल सीमा बढ़ाई गई

समुद्रपारीय निवेशों को बेहतर अवसर प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत म्युचुअल फंडों (एमएफ) द्वारा समुद्रपारीय निवेशों की सकल सीमा को तत्काल प्रभाव से 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 7 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। सेबी द्वारा यथानुमत समुद्रपारीय शेयर बाजार कारोबार निधियों में अर्हताप्राप्त भारतीय म्युचुअल फंडों की सीमित संख्या को संचयी रूप से 1 बिलियन अमरीकी डालर तक के निवेश की वर्तमान सुविधा जारी रहेगी।

शहरी सहकारी बैंक

आस्ति वर्गीकरण मानदण्ड

भारतीय रिज़र्व बैंक ने टियर I शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को सूचित किया है कि अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए 180 दिन के ऋण बकाया मानदण्डों को एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च 2009 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही, टियर I शहरी सहकारी बैंकों द्वारा संदेहास्पद श्रेणी की गैर-मानक आस्ति के वर्गीकरण के लिए 12 महीने की अवधि को 1 अप्रैल 2008 के बजाय 1 अप्रैल 2009 से लागू किया गया है।

आपको यह ज्ञात होगा कि रिज़र्व बैंक ने मार्च 2008 में टियर I शहरी सहकारी बैंकों की परिभाषा में संशोधन किया था। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित शहरी सहकारी बैंक टियर I श्रेणी में आते है :

i) यूनिट बैंक अर्थात एक शाखा/प्रधान कार्यालय वाले बैंक तथा 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक ही जिले में स्थित हों।

ii) 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं एक से अधिक जिलों में स्थित हों बशर्ते शाखाएं परस्पर सन्निकट जिलों में हों और प्रत्येक जिले में शाखाओं की जमाराशि और अग्रिम बैंक की क्रमश: कुल जमाराशि और अग्रिम का कम-से-कम 95 प्रतिशत हो।

iii) 100 करोड़ रुपये से कम जमाराशि वाले बैंक जिनकी शाखाएं मूल रूप में एक ही जिले में थीं परंतु जिले के पुनर्गठन के कारण बाद में वे बहु-जनपदीय बन गए।

चेक संग्रह नीति तैयार करना

रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं, समाशोधन व्यवस्थाओं के लिए अपनाई गई प्रणालियाँ/ प्रक्रियाओं और संवाददाताओं के माध्यम से संग्रह के लिए अन्य आंतरिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और पारदर्शी चेक संग्रह नीति तैयार करें। साथ ही, उनको यह भी सूचित किया गया है कि वे अपनी मौजूदा व्यवस्थाओं और क्षमताओं की समीक्षा करें और एक ऐसी योजना तैयार करें जिससे चेक संग्रह अवधि कम हो सके। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी भी बरती जाए कि छोटी राशि के जमाकर्ताओं के हित की संपूर्ण सुरक्षा की जाती है। इस संबंध में तैयार की गई नीति ऐसी होनी चाहिए कि जो भारतीय बैंक संघ की नमूना नीति की तर्ज़ पर उनके द्वारा तैयार की गई जमा नीति के साथ समेकित हो सके। नीति में शहरी सहकारी बैंकों द्वारा रखे गए मानकों के गैर-अनुपालन से ब्याज भुगतान में हुए विलंब के माध्यम से शहरी सहकारी बैंकों की देयताओं को भी स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए। ब्याज भुगतान के माध्यम से क्षतिपूर्ति भुगतान, जहाँ कहीं आवश्यक हो, ग्राहक द्वारा बिना दावा किए ही किया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ग्राहक की स्थिति किसी भी हालत में पहले से बदतर न हो।

शहरी सहकारी बैंको रिज़र्व बैंक के वर्तमान अनुदेशों के साथ तैयार की गई चेक संग्रह नीति अपने बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए और उन्हें नीति की योग्यता तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों की मूल भावना के अनुरूप इसके अनुपालन में बोर्ड का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए।

ग्राहक सेवा

कर का इलैक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य

प्रत्यक्ष कर केंद्रीय बोर्ड ने 1 अप्रैल 2008 से करदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए करों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य कर दिया है :

* कंपनी
* वह व्यक्ति (कंपनी के अलावा) जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं।

इस संबंध में रिज़र्व बैंक ने सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया है कि -

(i) सभी कंपनी करदाताओं की स्थिति की पहचान उसके नाम से ही की जा सकती है। साथ ही, सभी कंपनी निर्धारितीयों का स्थायी खाता नंबर (पीएएन) का चौथा अंक अनिवार्य रूप से *सी* होना चाहिए। ऐसे निर्धारितीयों से काउंटरों पर भौतिक रूप में चालान स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

(ii) धारा 44एबी के अंतर्गत शामिल करदाताओं के मामले में एजेंसी बैंकों को बैंक काउंटरों पर भौतिक रूप में चालानों के माध्यम से कर के भुगतान की पात्रता के किसी भी सबूत के लिए आग्रह नहीं करना चाहिए। ई-भुगतान करने की जिम्मेदारी पूर्णत: करदाता पर होगी। अत: करदाता का निर्णय ही अंतिम माना जाए।

(iii) ई-भुगतान की रसीद स्क्रीन पर तुरंत उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(iv) ई-भुगतान के लेनदेन का ई-पता बैंक के विवरण में प्रदर्शित होना चाहिए।

(v) भुगतान करने, ई-लेनदेन पूरा करने, अधपन्ना तैयार करने आदि में करदाता को होनेवाली किसी भी समस्या के लिए संपर्क किए जानेवाले अधिकारियों के नाम उनके ई-भुगतान प्रवेश पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(vi) आयकर विभाग अथवा करदाताओं को होनेवाली किसी भी समस्या का समाधान करने हेतु संपर्क किए जानेवाले अधिकारियों की सूची उनके संपर्क ब्योरे सहित आयकर विभाग और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को दी जानी चाहिए।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)में धोखाधड़ी की घटनाएँ चिंता का विषय हैं। जबकि धोखाधड़ियों को रोकने की प्रारंभिक जिम्मेदारी स्वयं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की है,धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग की रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित एक प्रणाली नीचे वर्णित है जिसे गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अंगीकृत कर सकती हैं:

वर्गीकरण

धोखाधड़ियों के मामलों की सूचना देने में एकरूपता लाने के लिए धोखाधड़ियों को भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(क) दुर्विनियोजन और आपराधिक विश्वास-भंग।
(ख) जाली लिखतों, लेखा-बहियों में हेर-फेर अथवा बेनामी खातों के जरिए कपटपूर्ण नकदीकरण और संपत्ति का परिवर्तन।
(ग) पुरस्कृत करने अथवा अवैध तुष्टीकरण के लिए दी गई अनधिकृत ऋण सुविधाएं।
(घ) लापरवाही और नकदी की कमी।
(ङ) छल और ज़ालसाजी।
(च) विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन में अनियमितताएं।
(छ) अन्य किसी प्रकार की धोखाधड़ी, जो उक्त किसी विशिष्ट शीर्ष के अंतर्गत शामिल न हो।

लापरवाही और नकदी की कमी तथा विदेशी मुद्रा संबंधी लेनदेन में अनियमितताओं के मामलों को धोखाधड़ी के रूप में सूचित किया जाए, यदि छल करने/धोखा देने के इरादे का संदेह हो/इरादा साबित हो गया हो। तथापि, निम्नलिखित मामलों में जहाँ पकड़े जाने के समय कपटपूर्ण इरादा संदेहवाला न हो/साबित न हो गया हो, को धोखाधड़ी माना जाए और तद्नुसार उसकी रिपोर्ट की जाए।

i) 10,000/- रुपए से अधिक की नकदी की कमी के मामले।
ii) प्रबंध-तंत्र/लेखापरीक्षक/निरीक्षण अधिकारी द्वारा पकड़े गए 5,000/- रुपए से अधिक की नकदी की कमी के मामले जो नकदी का काम करने वाले व्यक्ति द्वारा घटित होने पर रिपोर्ट न किये गये हों।

विदेश व्यापार शाखाओं/कार्यालयों वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को चाहिए कि वे ऐसी शाखाओं/कार्यालयों में होने वाली सभी धोखाधड़ियों की सूचना रिज़र्व बैंक को दें।

रिपोर्टिंग

बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा की गई धोखाधड़ियां

बड़ी संख्या में धोखाधड़ियां बेईमान किस्म के उधारकर्ताओं द्वारा, जिनमें कंपनियां, भागीदारीवाली फर्में/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान और/अथवा उनके निदेशक/भागीदार शामिल हैं, निम्नलिखित विभिन्न तरीकों से की जाती हैं :

* लिखतों की कपटपूर्ण भुनाई।
* गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की जानकारी के बिना गिरवी रखे गए स्टॉक को कपटपूर्ण ढंग से हटाना/दृष्टिबंधक रखे गए स्टॉक को बेचना/स्टॉक विवरण में स्टॉकों का मूल्य बढ़ाकर दर्शाना तथा अतिरिक्त वित्त का आहरण।
* उधारकर्ता इकाइयों के बाहर निधियों का अपयोजन/विशाखन, उधारकर्ताओं, उनके भागीदारों आदि के स्तर पर रुचि का अभाव अथवा आपराधिक उपेक्षा आदि तथा प्रबंधन में चूक के कारण इकाई का रुग्ण होना और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कर्मियों के स्तर पर उधार खातों में होने वाले परिचालनों पर प्रभावी पर्यवेक्षण में कमी के कारण अग्रिमों की वसूली में कठिनाई होना।

एक लाख रुपए तथा उससे अधिक की राशि वाली धोखाधड़ियां

* गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को एक लाख रुपए और उससे अधिक की धोखाधड़ियों के ऐसे मामलों की धोखाधड़ी रिपोर्टें प्रस्तुत करनी चाहिए जो गलत बयानी, विश्वास / भंग, लेखा बहियों में हेर-फेर, सावधि जमा रसीदों के कपटपूर्ण नकदीकरण, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रभारित प्रतिभूतियों पर अनधिकृत रूप से कार्य करने,अधिकार के दुरुपयोग, गबन,निधियों के दुर्विनियोजन,संपत्ति के परिवर्तन,छल,कमी,अनियमितताओं आदि के माध्यम से हुए हों।
* धोखाधड़ी की रिपोर्टें ऐसे मामलों में भी प्रस्तुत की जाएं जहां केन्द्रीय जांच एजेंसियों ने स्वयं ही आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी हो और/अथवा जहां रिज़र्व बैंक ने निदेश दिया हो कि उन्हें धोखाधड़ी के रूप में रिपोर्ट किया जाए।
* गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी अपनी अनुषंगियों में सहायक संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में हुई धोखाधड़ियों की भी सूचना देनी चाहिए।
* जहाँ धोखाधड़ी की राशि 25 लाख रुपये से कम हो धोखाधड़ी रिपोर्टों को धोखाधड़ी का पता चलने के तीन सप्ताह के भीतर रिज़र्व बैंक के गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय आता है।

25 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ियां

जहाँ 25 लाख रुपए और उससे अधिक की राशि की धोखाधड़ी का संबंध है धोखाधड़ी की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,धोखाधड़ी निगरानी कक्ष को भेजी जाए। धोखाधड़ी रिपोर्ट की एक प्रति रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजी जानी चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उस गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकृत कार्यालय है।

धोखाधड़ी का प्रयास करना

धोखाधड़ी का प्रयास करने संबंधी ऐसे मामले की रिपोर्ट जहाँ धोखाधड़ी होने पर संभावित हानि 25 लाख रुपए या उससे अधिक की हो सकती थी, धोखाधड़ी की आपराधिक कार्य प्रणाली तथा उसका पता कैसे लगाया गया का उल्लेख करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, धोखाधड़ी निरोधक निगरानी कक्ष को की जाए तथा उसकी प्रतिलिपि गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को भी परांकित की जाए।

बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना

* गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक लाख रुपए और उससे अधिक की सभी धोखाधड़ियों की सूचना पता लगने के तुरंत बाद उनके बोर्डों को प्रस्तुत की जाएं। ऐसी रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित शाखा अधिकारियों तथा नियंत्रक प्राधिकारियों के स्तर पर हुई चूकों का उल्लेख किया जाए तथा धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ किए जाने के लिए विचार किया जाए।
* मार्च, जून तथा सितंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए धोखाधड़ियों से संबंधित जानकारी संबंधित तिमाही के अगले माह के दौरान निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाए।
* सभी धोखाधड़ियों के मामले जो 25 लाख रुपये या उससे अधिक के हों की निगरानी और समीक्षा बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) अथवा यदि बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति न हो तो बोर्ड की अन्य किसी समिति द्वारा की जानी चाहिए। मामलों की संख्या को देखते हुए इस समिति की बैठकों की आवधिकता तय की जानी चाहिए। तथापि, जब कभी 25 लाख रुपये और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी उजागर हो, यह समिति बैठक करके उसकी समीक्षा करे।

पुलिस को सूचना देना

निम्नलिखित मामले अनिवार्यतः राज्य पुलिस के पास भेजे जाने चाहिए:

* बाहरी व्यक्तियों द्वारा स्वयं तथा/या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्टाफ/अधिकारियों की सांठगांठ से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में एक लाख रुपये या उससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी के मामले।
* गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किये गये धोखाधड़ी के मामले, जिनमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की 10,000 रुपये से अधिक की राशियां शामिल हों।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**